



MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 16.10.2026



यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई-

जनपदीय पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं सड़क सुरक्षा हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 167 वाहनों का चालान किया गया तथा 01 वाहन सीज किया गया।

शांति भंग की आशंका के मद्देनजर की गयी कार्रवाई-

क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों द्वारा धारा 170 BNSS के तहत 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय चालान किया गया।

आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई-

जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु चलाए गए अभियान के तहत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 01 अभियोग दर्ज कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 20 शीशी देशी शराब बरामद की गई।

थानों द्वारा की गयी सराहनीय कार्रवाई-

थाना कोतवाली- अभियुक्त शेषनाथ विश्वकर्मा (पुत्र स्व० बृजराज विश्वकर्मा, निवासी बागापार टोला कोदईपुर, थाना कोतवाली, जनपद महाराजगंज) के पास से 320 ग्राम नाजायज गांजा बरामद (मु०अ०सं० 437/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट)।

थाना निचलौल- अभियुक्त अमित चौधरी (उम्र करीब 23 वर्ष, पुत्र राजकुमार चौधरी, निवासी पिपराकाजी, थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज) के पास से एक अदद पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा 32 बोर कारतूस बरामद (मु०अ०सं० 275/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट)।

थाना कोल्हुई-

1. अभियुक्त कमलेश कुमार प्रजापति (पुत्र योगेन्द्र प्रजापति, निवासी ग्राम बड़गो, थाना कोल्हुई, जनपद महाराजगंज) के कब्जे से कुल 20 पाऊच देशी शराब बरामद (मु०अ०सं० 161/2026, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम)।

2. अभियुक्त राजीव प्रसाद (उम्र 42 वर्ष, पुत्र रामदास, निवासी ग्राम हरिवंशपुर, थाना लोटन, जनपद

सिद्धार्थनगर) के कब्जे से 01 अदद टेम्पू पर 03 बोरी अवैध भारतीय यूरिया खाद बरामद (मु०अ०से०
निल/2026, धारा 113 कस्टम अधिनियम)।

अन्य निरोधात्मक कार्रवाई एवं विवेचना निस्तारण-

विवेचना निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कुल 08 विवेचनाओं का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।

निरोधात्मक कार्रवाई- धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत 04 तथा धारा 129जी BNSS के तहत 26 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई।